"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 फरवरी 2011—माघ 20, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–10/2007(PF-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा में भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** – (1) ये नियम छत्तीसगढ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा नियम–2010 कहलायेंगे ।

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, मुख्य तकनीकी परीक्षक;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ शासन;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ के राज्यपाल;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "अन्य पिछडा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** .– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात् –.

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हो।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी ।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा / चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में तथा ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हो, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन, भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची –दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाई जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की

सहमति के साथ, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करें।

(5) सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए, मेरिट के आधार पर चयन के लिये मापदंड, शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा । तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित की जानी चाहिए जो इन मापदंडों से भिन्न अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी ।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्तिः–** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तेः–** सीधी भर्ती हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निंम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(1) आयुः–

(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची– तीन के कॉलम (3) में यथाविनिंर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो तथा उसने उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) सीधी भर्ती के समस्त कर्तव्य पदों पर, महिला अभ्यर्थियों के लिये भी, उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी किन्तु विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष की अतिरिक्त छुट दी जायेगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थाई या अस्थाई शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक् से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द "छंटनी किये गये शसकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी प्रदेशों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो और जो जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो और जिसने किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन्स) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक ।

(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल है)।

(5) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष तक की शिथिलनीय होगी ।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, के लिये उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष होगी ।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गयी सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की

सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(ट) उपरोक्त किसी एक या अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा 45 (पैंतालीस) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ठ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे ।

(टीप)-(1) उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते है तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे । किसी भी अन्य मामले में आयु सीमायें शिथिल नही की जायेगी ।

(टीप)-(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपसंजात होने के लिये उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।

(2) **शैक्षणिक अहर्तायें तथा अनुभव** :- अभ्यर्थी के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव होना चाहिये जैसा कि अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में विहीत है ।

(3) **फीस**:- अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहीत फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हतायें**:- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिये किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा परीक्षा में चयन के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा** :- चयन के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती**- (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती - नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा जिसमें तीन सदस्य होंगे:-

(क) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा, चयन समिति द्वारा ली जायेगी ।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** :-

(एक) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अंतरालो से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करें ।

(दो) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो से संबंधित व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित रखे जायेंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य है नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा ।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए तीस प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

(7) जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थी अपेक्षित अनुभव के साथ आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार आरक्षण रहेगा।

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूचीः**–(1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नही है किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा । यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्ययीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी सूची क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्तिः**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये, एक समिति गठित की जायेगी, जिमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होंगे ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालो में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधो के अनुसार रोस्टर लागू होगा ।

(4) उप–नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रहेगी ।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें**:– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पद/सेवा में या उन पदों पर या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्ही अन्य पदों पर, उतने वर्षो की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों ।

स्पष्टीकरणः– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीतिः– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहुत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नही ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति विधिमान्य रहेगी ।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना:–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी ।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु चयन, सभी प्रकार से वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए, मेरिट (गुणागुण) तथा उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी ।

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरष्ठिता के क्रम से रखे जायेंगे ।

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को जो समिति की राय में असाधारण मेरिट (गुणागुण) तथा उपयुक्तता का हो, उसे उसके वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में सूची में उच्च स्थान दिया जा सकेगा ।

(4) इस प्रकार तैयार किया गया सूची, प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरक्षित की जायेगी ।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रकिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो तो समिति प्रस्तावित अवक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी ।

स्पष्टीकरण:– ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नही किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उनके ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नही होगा ।

16. **चयन सूची :–** (1) समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिये अंतिम सूची होगी ।

(2) चयन सूची, सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इसे नियम 15 के उप–नियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरक्षित न किया जाये ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–** चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में, उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में चयन सूची में ऐसे सदस्यों के नाम आये हों ।

परंतु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि रिक्तियां तीन माह से अधिक समय के लिये संभाव्य नहीं है ।

18. **परिवीक्षा:–** सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन:–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण:–** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामलें में, जिस पर ये नियम लागू होते है, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायासंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है।

परन्तु कोई मामले ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21 **व्यावृत्ति** :–इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन तथा व्यावृत्तिः**– इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत समस्त नियम, इन नियमों के अंर्तगत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.के.टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

अनुसूची एक

(नियम 5 देखिये)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	+ ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उपयंत्री	02	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200
2	मानचित्रकार	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200
3	संभागीय लेखापाल	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200
4	सहायक ग्रेड–1	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2800
5	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2800
6	सहायक ग्रेड–3	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900
7	अनुरेखक	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900
8	वाहन चालक (ड्राइवर)	03	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900
9	भृत्य	03	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	1300
10	चौकीदार	01	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	1300
11	स्वीपर	01	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	1300

अनुसूची दो

(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से स्थानांतरण द्वारा
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिए)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग 1	उपयंत्री	02	50 %		50 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों में समकक्ष पद पर पदस्थ कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा
2	मानचित्रकार	01			100 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर
3	संभागीय लेखापाल	01			100 प्रतिशत महालेखाकार के कार्यालय से
4	सहायक ग्रेड–1	01			100 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों या अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
5	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	02			100 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों या अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
6	सहायक ग्रेड–3	02	50 %		50 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों या अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
7	अनुरेखक	01			100 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर
8	वाहन चालक (ड्राइवर)	03	100 %		सीधी भर्ती
9	भृत्य	01	100 %		– तदैव –
10	चौकीदार	01	100 %		– तदैव –
11	स्वीपर	01	100 %		– तदैव –

अनुसूची– तीन

(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हता

विभाग का नाम		सेवा तथा पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विधि शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग	1	उपयंत्री (सिविल)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा मण्डल से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।	
	2	सहायक ग्रेड–3	21 वर्ष	30 वर्ष	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल या मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेन्ड्री या हाईस्कूल (10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन) परीक्षा, कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए । 2. हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल से या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए । 3. जिस अभ्यर्थी ने अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। 4. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर प्रोग्रामिंग में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 5000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना अनिवार्य है या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट (आधुनिक कार्यालय प्रबंधन) अथवा समकक्ष पाठ्क्रम में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) होना चाहिए एवं डाटा एंट्री का 5000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना अनिवार्य है।	

3	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	8वीं उत्तीर्ण एवं वैध ड्राइविंग लायसेंस ।	
4	भृत्य	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 8वीं उत्तीर्ण ।	
5	चौकीदार	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 8वीं उत्तीर्ण ।	
6	स्वीपर पार्ट टाइम	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 5वीं उत्तीर्ण ।	

अनुसूची चार

(नियम 14 देखिये)

पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हताऐं एवं विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

विभाग का नाम		सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (3) के पदों में पदोन्नति के लिये कॉलम (2) के पदों में न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)		(2)	(4)	(3)	(5)
मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) कार्यालय	1	उपयंत्री	सहायक यंत्री	12 वर्ष की निरंतर सेवा	मुख्य अभियंता – अध्यक्ष उपसचिव (स्थापना) – सदस्य कार्यपालन यंत्री– सदस्य
	2	भृत्य	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष की निरंतर सेवा	मुख्य अभियंता – अध्यक्ष उपसचिव (स्थापना) – सदस्य कार्यपालन यंत्री– सदस्य

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 3–10 / 2007 / 1–7(PF-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.के.टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 9th February 2011

NOTIFICATION

No. F 3-10/2007/1-7(PF-2). —In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Class-III Service, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Class-III Service Rules, 2010.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Definitions** – In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Chief Technical Examiner ;
(b) "Committee" means the selection committee approved by Government;
(c) "Examination" means the Competitive Examination conducted for recruitment under rule 11;
(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
(f) "Schedule" means a schedule appended to these rules ;
(g) "Scheduled Castes" means the Schedule Castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of india;
(h) "Scheduled Tribes" means the Schedule Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of india;
(i) "Other backward classes" means Other backward classes of citizens as specified by the state government vide notification No. F 8-5XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
(j) "Service" means the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Class-III Service ;
(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.**— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service** – The service consist of the following persons, namely :-
(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule- I ;
(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules ; and
(3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.** – The classification of the service, the scales of pay attached there to and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule- I :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment** – (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) By direct recruitment through competitive examination/ selection;
(b) By promotion of the members of Service ;
(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity, such posts and in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule- II of the number of duty posts as specified in schedule- I

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the government may, with the concurrence of General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in sub-rule (1), as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria For selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However appointing authority should set up a selection committee which can adpot other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provision of chhatisgarh public service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other backward classes reservation) act,1994 shall be applicable.

7. **Appointment to the Service** – All Appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility of direct recruits** – In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) **Age** – (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule- III, and must have not attained the age as specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to a Scheduled Casts, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit for female candidates shall also be relaxable upto 10 (ten) years on all duty post of direct recruitment but an additional relaxation of 5 (five) years in general upper age limit shall be given to widow, destitute or divorced female candidates.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the condition specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarilyand applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project implementing committee.

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell,provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this state or of any of the regions for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three.years prior to date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation – The term 'Ex-Serviceman' denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service, namely :-

(1) Ex-Serviceman released under mustering out concession.

(2) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on-
(a) completion of short term engagement ;

(b) fulfillment of the conditions of enrolement.

(3) Ex-Personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officer (Military and Civil) discharged on completion of his contract (including short service Regular Commissioned Officers).

(5) Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-Serviceman invalidated out of service.

(7) Ex-Serviceman discharged on the ground that he is unlikely to become efficient soldier.

(8) Ex-Serviceman who is medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to 2 (two) year in respect of green card holder candidates under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) year in respect of awarded superior caste partner of couple under the inter caste marriage Incentive Scheme.

(h) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 (five) years in respect of Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaja Pravirchandra Bhanjdeo Samman and National Youth Award holder candidates.

(i) The upper age limit for candidates who are employees of chhatishgarh state corparation/ board shall be up to 38 years.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary home guards and non commissioned of home guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 (Thirty eight) years.

(k) After providing relaxation in the age limit on the basis of any one or more of the above for enering in Government Service, the age limit of 45 (forty five) years shall not exceed.

(l) The directions issued by the General Administration Department of the Government from time to time also shall be applicable.

Note – (1) The Candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in rule - 8 (d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application they resign from service either before or after examination/ selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed. In no other case will these age limits be relaxed.

Note- (2) Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear in the examination.

(2) **Educational Qualifications and Experience** – The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed in column (5) of Schedule-III

(3) **Fee** :- The candidate must pay the fees prescribed by the Government.

9. **Disqualifications** – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the committee constituted by the Appoiting Authority to disqualify him for selection to the examination.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidate Shall be Final** – The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of candidate for selection shall be final.

11. **Direct recruitment by competitive examination/selection** –(1) Direct recruitment by competitive examination–Appointing authority shall constitute a selection committee consisting of three members –

(a) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may, in consultation with the Government from time to time determine.

(b) The examination shall be held by the selection committee in accordance with orders issued by the appointing authority from time to time.

(2) Direct recruitment by selection-

(i) Slection for recruitment to the service shall be made at such intervals as the appointing authority may, from time to time determine..

(ii) The selection of candidates for the service be made by the selection committee after interviewing them.

(3) There shall be reserved for posts for the person belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Reservation) Act ,1994 (No.21 of 1994) and according to the orders of the state Government issued from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other backward classes selected by the appointing authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes as the case may be.

(6) Thirty percent posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattishgarh Civil Service (Special provision for appointment of women) Rule,1997.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of appointing authority it is found that the sufficient number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other backward classes candidates having requisite experience is not likely to be available for recruitment on the reserved posts, then the appointing authority may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other backward classes candidates.

(8) There shall be reserved posts for disabled candidates in accordance with the direction of the General Administration Department.

12. **List of Candidates recommended by the Committee –** (1) The Committee shall forward to the Appointing Authority a list arranged in order of merit of the candidates who may have qualified by such standard as the committee may be determine and the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, who though not qualified by that standard, but or declared by the committee to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion** – (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Roaster shall be applicable in accordance with the provision of Chhatishgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies as specified in sub rule (3) shall be made accordance with the instruction issued by the Government in the General Administrative Department from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion–** (1) subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of the year had completed the number of years of service (whether officiating or sub-stantive) as is specified in column (3) of Schedule-IV in the post/Service mentioned in column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent there by the Government and are within the zone of consideration

Explanation:- Manner of computation for eligibility for promotion-period of qualifying service on 1st January of the relevant yearly in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/ pay scale of the post and not from the joining of the cadre/ part of the service/ pay scale of the post

(2) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provision Chhatishgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(3) The promotion shall be valid in accordance with the Chhatishgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

15. **Preparation of the list of suitable candidates** - (1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the courses of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The selection for inclusion on such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority;

(3) The names of persons include in the list shall be arranged in order of seniority in service or post as specified in column (2) of Schedule- IV at the time of preparation of each select list;

Provided that any junior person who in the opinion of the committee, is of exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of the persons senior to him;

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) In in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

Explanation - A person whose name included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Select List** – (1) The list forwarded by the committee to the Appointing Authority shall be final list for the promotion to the posts mentioned in column (3) from the post mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(2) The select list shall ordinarily be enforced until if it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of select list may be made at the instance of Appointing Authority and the committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the Service from the select list** – Appointment of the persons included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such members appears in select list :

Provided that, where the administrative exigencises so require, a person whose name is not included in the select list may be appointed to the service if the Appointing Authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

18. **Probation** – Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation** – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Saving** – Nothing in this rules shall affect the reservation and other concessions required to be provided for the scheduled castes, scheduled Tribes and Other Backward classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving** – All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Additional Secretary.

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Classification, Scale of pay and Number of post included in the Service

S.No.	Name of the posts included in the service	Total no. of duty posts	Classification	Scale of pay	+Grade Pay
(1).	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sub Engineer	02	Class III	9300&34800	4200
2	Draftman	01	Class III	9300&34800	4200
3	Divisional Accountant	01	Class III	9300&34800	4200
4	Assistant grade - I	01	Class III	5200&20200	2800
5	Stenographer grade-III	02	Class III	5200&20200	2800
6	Assistant grade -III	02	Class III	5200&20200	1900
7	Tracer	01	Class III	5200&20200	1900
8	Driver	03	Class III	5200&20200	1900
9	Peon	03	Class IV	4750&7440	1300
10	Watchman	01	Class IV	4750&7440	1300
11	Swipper	01	Class IV	4750&7440	1300

SCHEDULE – II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

Name of the Department		Name of the service	Total Number of posts	Percentage of the number of posts to be filled		By transfer of the members of other services
				By direct recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By promotion of the member of service [See Rule-6 (1)(b)]	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Administration Department	1	Sub Engineer	02	50 percent		50 percent by transfer of the employees posted on equivalent posts in the En-gineering Depart-ments.
	2	Draftman	01			100 percent. Deputation from Engineering Depart ments.
	3	Divisional Accountant	01			100 percent from the office of the Accountant General.
	4	Assistant grade - I	01			100 percent. Deputation from Engineering Departments .or other department
	5	Stenographer Grade -III	02			100 percent. Deputation from Engineering Departments. or other department
	6	Assistant grade -III	02	50%		50 percent. Deputation from Engineering Departments. or other department

Name of the Department	Name of the service	Total Number of posts	Percentage of the number of posts to be filled		By transfer of the members of other services
			By direct recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By promotion of the member of service [See Rule- 6 (1)(b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Tracer	01			100 percent. Deputation from Engineering Departments.
8	Driver	03	100%		Direct recruitment
9	Peon	01	100%		-----------do---------
10	Watchman	01	100%		-----------do---------
11	Swipper	01	100%		-----------do---------

Schedule-III

(See Rule 8)

Qualification for appointment by Direct Recruitment

Name of the Department	Name of the Service and posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
1	2	3	4	5	6
1 General Administration Department	Sub Engineer (Civil)	21 Years	30 Years	Diploma in Civil Engineering from any recognized Technical education board	
2	Assistant Grade -III	21 Years	30 Years	1.Should have passed in minimum second division Higher secondary or High school examination (under 10+2 education system) from the Board of secondary education or from any recognized institution. 2. should have also passed the Hindi typewriting examination from the board of Hindi short hand and Typewriting examination, or from any recognized institution 3.Given priority to the English typewriting examination passed candidate 4.Minimum 1year Diploma in data entry operating programming from any recognized institution and Speed in data entry should be 5000 depression per hour Compulsory or Should have	

Name of the Department	Name of the Service and posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
1	2	3	4	5	6
				passed in minimum second division Diploma in Modern office management or equivalent from any recognized institution and Speed in data entry should be 5000 depression per hour Compulsory	
3	Driver	18Years	35Years	8th passed and having validate driving liecence	
4	Peon	18Years	35 Years	8th passed from recognized institution	
5	Watchman	18Years	35Years	Passed VIII from recognized institution	
6	Swipper	18Years	35Years	Passed V from recognized institution	

SCHEDULE - IV

(See Rule 14)

Essential qualification for Promotion and Constitution of Departmental Promotion Committee

Name of the Department	Name of the service or post from which promotion is to be made	Name of the service post to which the promotion is to be made	Minimum service in the post of column (2) for promotion to the post in column (3)	Members of the Departments promotion committe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Office of the Chief Technical Examiner (Vigilance)	Sub Engineer	Assistant Engineer	12 year Continuous service	Chief Engineer.- Chairman Deputy Secretary (Establishment) – Member Executive Engineer.- Member.
2	Peon	Assistant Grade -III	05 year Continuous service	Chief Engineer.- Chairman Deputy Secretary (Establishment) – Member Executive Engineer.- Member

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.